न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 1442/2018
दायरा तिथि : 01.10.2018
फैसला तिथि : 28-5-2019

प्रार्थीगणः–

1. श्रीमति अम्बादेवी पुत्री स्व. हिमताजी
2. श्रीमति लक्ष्मीदेवी पुत्री स्व. हिमताजी
3. श्रीमति भंवरीदेवी पुत्री स्व. हिमताजी

जातिगण रावल ब्राहम्ण, निवासीगण–सेवाडी
तहसील बाली, जिला–पाली (राज.)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. स्व. नन्दकिशोर पुत्र हिमताजी के कायम मुकाम
   1/1 धमेन्द्र कुमार पुत्र स्व. नन्दकिशोरजी
   1/2 जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व. नन्दकिशोरजी
   1/3 राकेश कुमार पुत्र स्व. नन्दकिशोरजी
   1/4 सुभाष कुमार पुत्र स्व. नन्दकिशोरजी
   1/5 दीपक कुमार पुत्र स्व. नन्दकिशोरजी
   1/6 रणजीत कुमार पुत्र स्व. नन्दकिशोरजी
   जातिगण रावल ब्राहम्ण, निवासीगण सेवाडी, तहसील बाली
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–

1. श्री गणपतलाल चौधरी — अधिवक्ता प्रार्थीगण की और से
2. श्री भंवरसिंह राजपुरोहित व मूलसिंह यादव — अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं0 1/1 व 1/4 की और से
3. श्री अय्यूब अली — अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1/2, 1/3 व 1/5

–:: आदेश ::– दिनांकः 28-5-2019

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी.

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. विरूद्व अप्रार्थीगण पेश कर ग्राम सेवाडी तहसील बाली में स्थित निम्न वर्णन की भूमियो में अप्रार्थीगण संख्या–1/1 लगाय 1/6 के नाम दर्ज भूमियों में प्रार्थीगण का बहिस्सा बराबर बताते हुये प्रस्तुत घोषणा खातेदारी एवं सार्वकालिक निषेधाज्ञा के वाद के निर्णय तक वर्णित भूमियो में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा में निहित प्रार्थीगण के हिस्से के संवध में बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। वर्णित भूमि के हाल सैटलमेंट संवत् 2037 के पूर्व का विवरणः–

क्र0सं0	खसरा नंवर	रकवा	नाम खातेदार
1	412	43 बीघा 10 बिस्वा	शंकर छोगा, हिमता पि0 परता 1/6 हिस्सा
2	412/2	4 बीघा 16 बिस्वा	
3	565	7 बीघा 14 बिस्वा	
4	566	6 बीघा 10 बिस्वा	
5	567	6 बीघा	
6	567/1	19 बिस्वा	
7	570	14 बीघा 13 बिस्वा	
8	570/1	11 बीघा 08 बिस्वा	
9	412/1	8 बिस्वा	
10	564	9 बिस्वा	
11	568	12 बिस्वा	
12	569	16 बिस्वा	
कुल खसरा–12		97 बीघा 15 बिस्वा	

पेज लगातार—2

उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1442/2018 अनचान अम्बादेवी वगैरा बनाम नन्दकिशोर के का.मु. धर्मेन्द्र कुमार वगैरा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी

उक्त वर्णित भूमि के भू0भाग से बने हाल खसरा नंबर 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447 रकबा क्रमशः 0.45 हैक्टर, 0.17 हैक्टर, 0.27 हैक्टर, 0.36 हैक्टर, 0.01 हैक्टर, 0.06 हैक्टर, 0.61 हैक्टर, 0.59 हैक्टर, 0.62 हैक्टर, 0.69 हैक्टर, 4.46 हैक्टर कुल खसरा–13 कुल रकबा 7.96 हैक्टर एवं दूसरा खाता जिसके खसरा नंबर 1993 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा एवं खसरा नंबर 1994 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गै.मु. सडा एवं तीसरा खाता जिसके खसरा नंबर 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 रकबा क्रमशः 0.43 हैक्टर, 0.26 हैक्टर, 0.38 हैक्टर, 0.35 हैक्टर, 0.36 हैक्टर, 0.27 हैक्टर, 0.25 हैक्टर, 0.46 हैक्टर, 0.50 हैक्टर, 0.15 हैक्टर, 0.30 हैक्टर, 0.20 हैक्टर, 0.70 हैक्टर, 0.28 हैक्टर, 0.81 हैक्टर, 0.36 हैक्टर 0.41 हैक्टर, 0.43 हैक्टर, 0.17 हैक्टर, 0.14 हैक्टर, 0.23 हैक्टर, 0.26 हैक्टर कुल खसरा–22 कुल रकबा 7.70 हैक्टर इन तीनो खातो की भूमियों के 1/6 हिस्सा में दर्ज नन्दकिशोर पुत्र हिमता के संबध में प्रस्तुत घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा के वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि अप्रार्थी रेकर्ड में दर्ज 1/6 हिस्सा का बेचान, हस्तान्तरण नहीं करे तथा रेकर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सेवाडी तहसील बाली के गत् खसरा नंबर 412 रकबा 43 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 412/2 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 565 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 566 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 567 रकबा 6 बीघा, खसरा नंबर 567/1 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 570 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 570/1 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 412/1 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 564 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 568 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 569 रकबा 16 बिस्वा कुल खसरा 12 कुल रकबा 97 बीघा 15 बिस्वा सैटलमेंट पुर्व के अधिकार अभिलेख जमाबंदी संवत् 2037 से पुर्व में 1/6 हिस्सा में शंकर, छोगा व हिमता पि0 प्रताप दर्ज थी। छोगाजी उर्फ अलकुजी व शंकरजी की मृत्यु लाऔलाद होने से उनके जीवित भाई हिमताजी पुत्र प्रतापजी के नाम दर्ज हुई तथा भूप्रबन्ध के बाद तैयार नये अधिकार अभिलेखों में ग्राम सेवाडी के पुराने खसरा नंबर 412 रकबा 43 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 412/2 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 565 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 566 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 567 रकबा 6 बीघा, खसरा नंबर 567/1 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 570 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 570/1 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 412/1 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 564 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 568 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 569 रकबा 16 बिस्वा कुल खसरा 12 कुल रकबा 97 बीघा 15 बिस्वा के भू0भाग से कायम हाल खसरा नंबर 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447 रकबा क्रमशः 0.45 हैक्टर, 0.17 हैक्टर, 0.27 हैक्टर, 0.36 हैक्टर, 0.01 हैक्टर, 0.06 हैक्टर, 0.61 हैक्टर, 0.59 हैक्टर, 0.62 हैक्टर, 0.69 हैक्टर, 4.46 हैक्टर कुल खसरा–13 कुल रकबा 7.96 हैक्टर एवं दूसरा खाता जिसके खसरा नंबर 1993 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा एवं खसरा नंबर 1994 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गै.मु. सडा एवं तीसरा खाता जिसके खसरा नंबर 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 रकबा क्रमशः 0.43 हैक्टर, 0.26 हैक्टर, 0.38 हैक्टर, 0.35 हैक्टर, 0.36 हैक्टर, 0.27 हैक्टर, 0.25 हैक्टर, 0.46 हैक्टर, 0.50 हैक्टर, 0.15 हैक्टर, 0.30 हैक्टर, 0.20 हैक्टर, 0.70 हैक्टर, 0.28 हैक्टर, 0.81 हैक्टर, 0.36 हैक्टर 0.41 हैक्टर, 0.43 हैक्टर, 0.17 हैक्टर, 0.14 हैक्टर, 0.23 हैक्टर, 0.26 हैक्टर कुल खसरा–22 कुल रकबा 7.70 हैक्टर इन तीनो खातो की भूमियों के 1/6 हिस्सा में शंकर, छोगा व हिमता पि. प्रताप की जगह नन्दकिशोर पुत्र हिमता दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि स्व0 हिमता की स्व. अर्जित नहीं होकर पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि होते हुये वादग्रस्त भूमि के 1/6 हिस्सा में स्व0 हिमता पुत्र प्रताप के निहित हिस्सा में प्रार्थीगण जो कि स्व0 हिमता की पुत्रिया है तथा अप्रार्थी संख्या–01 जो कि स्व. हिमता का पुत्र है, बहिस्सा बराबर के हकदार थे। परन्तु अप्रार्थी संख्या–01 ने राजस्व कर्मचारियो से मिलावट कर वादग्रस्त भूमियों के 1/6 हिस्सा में अकेले का नाम दर्ज करवा दिया। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या–01 आपस में भाई बहिन होने से तथा आपस में मधुर संबध होने से प्रार्थीगण ने कभी राजस्व रेकर्ड नहीं देखा। इस वर्ष रक्षा बंधन पर जब

पेज लगातार---3

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1442/2018 अनवान अम्बादेवी वगैरा बनाम नन्दकिशोर के का.मु. धर्मेन्द्र कुमार वगैरा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी

प्रार्थीगण अपने पैतृक पुश्तैनी घर पर गई तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि पर जाने से रोका एवं वहाँ की पैदावार मुंग वगैरा नहीं देने की बात की। इस पर प्रार्थीगण ने राजस्व रेकर्ड की जांच की एवं नकले प्राप्त की तो प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या-01 ने बाले-बाले प्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि में अपने अकेले का संपुर्ण 1/6 हिस्से में नाम दर्ज करवा दिया। तथा रेकर्ड में नाम दर्ज होने से अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगाय 1/6 प्रार्थीगण को खातेदार मानने से इन्कार हो गये और वादग्रस्त कृषि भूमि पर जाने से रोकने लगे। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को उनकी गैर कानूनी हरकतो से रोका तो अप्रार्थी संख्या 1/1 ने धमकी दी कि वह वादग्रस्त भूमि का बेचान कर देगा। जिससे प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता की पैतृक पुश्तैनी भूमि के 1/6 हिस्सा में बहिस्सा बराबर की खातेदार होने से घोषणा खातेदारी के वाद के साथ सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। जो वाद प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हैं। वाद के निस्तारण में समय लगेगा एवं इस दौरान् यदि अप्रार्थीगण रेकर्ड में दर्ज त्रुटिपुर्ण इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण कर देते हैं तो प्रस्तुत वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। अतः प्रस्तुत वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपी चालू जमाबंदी संवत् 2072 से 2078, फोटो प्रति जमाबंदी संवत् 2052 से 2055, भू0 प्रबन्ध संवत् 2017 की खतौनी बन्दोवस्त की फोटो प्रति, जमाबंदी प्रमाणित प्रतिलिपी संवत् 2027 से 2030, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपी, प्रमाणित प्रतिलिपी खतौनी बन्दोवस्त संवत् 2037 से 2056 पेश किये गये। तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो की पुष्टि में प्रार्थीया अम्बादेवी का शपथ पत्र भी पेश किया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1/2 जितेन्द्रकुमार, 1/3 राकेशकुमार, 1/5 दीपककुमार ने अपने अधिवक्ता श्री अयूयुब अली सैयद के माध्यम से इकबालिया जवाव पेश किया गया। अपने जबाव में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से सहमति व्यक्त करते हुये वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व0 हिमताजी से प्राप्त होने तथा स्व0 हिमताजी द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि में निहित 1/6 हिस्सा अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व0 नन्दकिशोरजी अथवा अन्य किसी के पक्ष में किसी प्रकार की वसीयत नहीं करने से हिन्दु उत्तराधिकारिता के प्रावधानो अनुसार वादग्रस्त आराजी में स्व0 नन्दकिशोर के साथ प्राथीगण बहिस्सा बराबर की खातेदार थी। परन्तु हिमताजी के स्वर्गवास के वाद अकेले नन्दकिशोर का नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थीगण का कानूनन स्व. नन्दकिशोर के साथ बराबर हिस्से के खातेदारी अधिकार बनते है। वादग्रस्त आराजी मे कानूनन हिमताजी के फुट स्टेप्स मे प्रार्थीगण को भी अधिकार है, परन्तु राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज नही है जिससे कानूनन वादग्रस्त आराजी को प्रोटेक्ट किया जाना आवश्यक है। जबाव के अन्त मे निवेदन किया कि पक्षकारान् के मध्य अनावश्यक मुदकमेबाजी न हो व मौके पर शान्ती बनी रहे, इसके लिये प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रोटेक्ट किये जाने का आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र का अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/4 की ओर से जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थना-पत्र मे वर्णित तथ्यो से असहमति जताते हुये प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ का पैरावार निम्नानूसार जबाव पेश किया :-

1. कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड मे दर्ज सभी खातेदारान् को पक्षकार नही बनाया है जिससे प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना-पत्र चलने योग्य नही है।
2. प्रार्थीगण ने रेकर्ड मे दर्ज सभी सहखातेदारान् को पक्षकार नही बनाया तथा न्यायालय को गुमराह कर बिना नोटिस एक तरफा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी कराया है जो काबिल खारिज के है। हिमताजी की मृत्यु सन् 1965 के लगभाग होना सही है । प्रार्थीगण 1 लगाय 3 शादीशुदा है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत नियमानुसार हिमताजी के एकमात्र Male son नन्दकिशोर ही होने से एवं वाद मे वर्णित कुल खसराजात की कुल भूमि, जो पैतृक थी, हिमताजी का 1/6 हिस्सा बहैसियत खातेदारी कब्जे काश्त का उनके जीवनकाल मे रहा एवं हिमताजी की मृत्यु के बाद बहैसियत खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण के पिता नन्दकिशोर का कब्जा काश्त शान्तिपूर्ण रहा। अप्रार्थीगण के पिता नन्दकिशोरजी की मृत्यु के बाद नन्दकिशोरजी के वारिस उत्तराधिकारी अप्रार्थीगण 1 लगाय 6 का बहैसियत खातेदार काश्तकार कब्जा काश्त

पेज लगातार--4

उप-खण्ड अधिकारी, पाली

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1442/2018 अनवान अम्बादेवी वगैरा बनाम नन्दकिशोर के का.मु. धमेन्द कुमार वगैरा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी

शान्तिपूर्वक प्रार्थीगण की जानकारी मे चला आआ रहा है, यानि हिमताजी अप्रार्थीगण के दादा की मृत्यु के बाद 54 वर्षो मे शांतिपूर्वक हिमताजी के पुत्र नन्दकिशोर व नन्दकिशोर की मृत्यु के बाद नन्दकिशोर के पुत्र अप्रार्थीगण का बहैसियत खातेदार काश्तकार अन्य सहखातेदारान के साथ शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि मे हिमताजी के वारिसान प्रार्थीगण का नाम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के तहत व्यक्तिगत विधि के तहत दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत नही होने से एवं राजस्व कर्मचारियो एवं अधिकारियो से मिलावट करने के तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वाद एवं प्रार्थना-पत्र मे वर्णित खसराजात की भूमि **को-पार्सनरी** सम्पति है, जिसमे पुत्रियो को पुत्र के समान हिस्सा हक देने का प्रावधान ही नही था। वादग्रस्त भूमि **को-पार्सनरी** सम्पति होने से हिमताजी को **को-पार्सनरी** सम्पति भूमि मे 1/6 हिस्सा रहा है एवं हिमताजी की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि को पार्सनरी सम्पति का 1/6 हिस्सा हिमताजी के पुत्र नन्दकिशोर का रहा एवं नन्दकिशोर की मृत्यु के बाद इनके वारिस उत्तराधिकारी अप्रार्थीगण बहैसियत खातेदार राजस्व रेकार्ड मे विधिवत दर्ज है, जो सही है।

3. कि प्रार्थीगण को राजस्व रेकार्ड की सम्पूर्ण जानकारी थी यह सही है कि नन्दकिशोर अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगाय 1/6 उसके वारिस है, जो सही है। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि पर पीहर सेवाडी आकर अपनी पैदावार का हिस्सा प्रापत करती फल-फ्रुट, सब्जिया प्राप्त करती का कथन गलत होने से अस्वीकार है। इस वर्ष रक्षाबन्धन पर प्रार्थीगण का सेवाडी आना वादग्रस्त भूमि पर जाने से रोका, पैदावार मूंग वगैरा नही देने की बात की इस पर प्रार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड की जांच की तो प्रार्थीगण को जानकारी हुई का तथ्य सरासर गलत होने से अस्वीकार है। आज से 54 वर्षो पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 नन्दकिशोर का बहैसियत को-पार्सनर भूमि का नियमानुसार 1/6 हिस्से का अकेले के नाम से राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज हआ, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को हिमताजी की मृत्यु से थी। अप्रार्थी संख्या 1 नन्दकिशोर के जीवनकाल मे वादग्रस्त भूमि मे 1/6 हिस्सा पर शान्तिपूर्वक एकमात्र कब्जा काश्त बहैसियत खातेदार काश्तकार नन्दकिशोर का ही रहा एवं पैदावार भी नन्दकिशोर ने ही प्राप्त की, नन्दकिशोर की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगाय 1/6 वादग्रस्त भूमि के 1/6 हिस्सा पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है एवं पैदावार भी अप्रार्थीगण ने ही प्राप्त की है। शेष सभी तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि मे खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करने का कोई हक नही है, मात्र परेशान करने अप्रार्थीगण के खातेदारी हक हकूको पर कुठाराघात करने, क्षति कारित करने की नियत से वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसमे सफलता मिलने की तनिक भी उम्मीद नही है एवं वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्दर अवधिकाल नही होने से काबिल खारिज के है।

4. प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के अलावा अन्य खातेदारान् को वाद एवं प्रार्थना-पत्र मे पक्षकार नही बनाया है, जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र कानूनन परितोषणीय नही है एवं प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की अपूरणीय क्षति होने वाली नही है, जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र काबिल खारिज के है।

5. कि प्रार्थीगण ने हिमताजी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान की विधिसंगत बतौर कायम मुकाम के नाम राजरव रेकर्ड मे इन्द्राज प्रार्थीगण की जानकारी होते हुये हुये अप्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारान् को तंग, परेशान करने के उद्देश्य से रेकर्डेड खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना एवं बिना बंटवाडा किये, बिना कब्जे के उक्त वाद एवं प्रार्थना-पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व गलतरूपेण पेश किया है। प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्ट्या मामला नही बनता है। सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है, जो कानूनन परिपोषनीय नही होने से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है।

पेज लगातार—5

उप - खण्ड अधिकारी, पाली

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1442/2018 अनवान अम्बादेवी वगैरा बनाम नन्दकिशोर के का.मु. धमेन्द्र कुमार वगैरा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी

अप्रार्थी संख्या 1/6 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 /6 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई।

अप्रार्थी संख्या 1/6 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही होने तथा शेष अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रस्तुत करने एवं अप्रार्थी संख्या 2 पेरोकार सरकार के विरूद्व कोई अनुतोष नही होने से उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस मे प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी की वादग्रस्त भूमि स्व. हिमताजी से प्राप्त होने से पुश्तैनी भूमि है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 आपस मे भाई–बहन है। स्व. हिमताजी की मृत्यु होने पर वारिसान के तौर पर केवल एक पुत्र नन्दकिशोर के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया। स्व. हिमताजी ने अपने जीवनकाल मे कोई वसीयतनामा नही किया। निर्वसीयत एक हिन्दु पुरूष की मृत्यु होने पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार पुत्र एवं पुत्रियो को समान हक अधिकार है, जिसके अनुसार हिमताजी के वारिसान मे पुत्रिया प्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 3 एवं पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 बहिस्सा बराबर के अधिकारी बनते है, परन्तु भू.प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान स्व. हिमता की मृत्यु के बाद दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण से अकेले नन्दकिशोर का नाम बतौर वारिस दर्ज कर दिया गया जो प्रारम्भ से ही शून्य है। उक्त त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण से प्रार्थीगण का हक अधिकार समाप्त नही हो जाता हैं। प्रार्थीगण स्व. हिमता के वादग्रस्त आराजी मे निहित 1/6 हिस्सा मे बहिस्सा बराबर की हकदार कानूनी रूप से है जिससे प्रार्थीगण द्वारा घोषणा खातेदारी का वाद एवं अप्रार्थीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जो वाद न्यायालय मे विचाराधीन है तथा वाद प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के पक्ष मे है। स्व. हिमताजी से प्राप्त वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि है तथा प्रार्थीगण स्व. हिमताजी के वारिसान होने से जन्म से ही वादग्रस्त आराजी मे हक अधिकार निहित है। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व वाद के निस्तारण तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने एवं अप्रार्थीगण रेकर्ड मे दर्ज त्रुटिपूर्ण इन्द्राज की आड मे भूमि का अन्यत्र हस्तान्तरण नही करने इस आशय की अरथाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष मे जारी किये जाने की दलील दी। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/4 की तरफ से दी गई दलीलो का खण्डन करते हुये यह दलील दी गई की पुश्तैनी सम्पति के मामले मे यह मान्य धारणा है कि सभी वारिसान का अपने हिस्से तक कब्जा माना जावे चाहे रिकार्ड मे नाम हो अथवा नही। विधवान वकील प्रार्थीगण श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा दौराने बहस अपनी दलीलो के समर्थन मे निम्न कानूनी उद्वहरण पेश किये गये :–

1. RRT 2005(2) Mangeram vs Ratni Page 995 to 998
2. RRT 2009 (1) Makbool and ors. vs gani and ors. Page 141 to 145
3. RRT 2007 (2) Sanwarlal and ors. vs kisturmal and ors Page 813 to 816

अप्रार्थी संख्या संख्या 1/2, 1/3, 1/5 के अधिवक्ता श्री अय्यूब अली सैयद ने बहस मे वकील प्रार्थी की दलीलो से सहमति जताते हुये प्रकरण मे प्रार्थीगण के पक्ष मे अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी। अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/4 के अधिवक्ता श्री भंवरसिंह राजपुरोहित ने वकील प्रार्थीगण की दलीलो का खण्डन करते हुये बहस मे अपने जवाव के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी की प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र मे वादग्रस्त आराजी के अधिकार अभिलेखो मे दर्ज रेकर्डेड सभी सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाकर त्रुटिपूर्ण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह कर एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति प्राप्त की है जो काबिल खारिज है। बहस मे वकील अप्रार्थी द्वारा दलील दी की प्रार्थीगण के पिता हिमताजी की मृत्यु 56 वर्ष पूर्व हो चुकी है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2005 मे पारित निर्णय से पुत्रियो को जो अधिकार दिये है वह भूतलक्षी नही होकर भविष्यलक्षी है। हिन्दु उतराधिकार अधिकार अधिनियम, 1956 मे संशोधन वर्ष 2005 से पुत्रियो को अधिकार दिया गया है पहले नही जबकि उक्त प्रकरण मे प्रार्थीगणो द्वारा वर्ष 2005 से पूर्व की मृत्यु का उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है। 56 वर्ष की अवधि तक प्रार्थीगण ने कभी भी वादग्रस्त भूमि मे अपने हक की मांग नही की एवं न ही दावा किया। अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/6 अधिकार अभिलेखो मे रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई आज्ञाप्ति जारी नही की जा सकती है। अपनी दलीलो के समर्थन मे RRT 2018(1) Pani bai vs Chandraprakash मे पारित निर्णय की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया।

पेज लगातार---6

उप - खण्ड अधिकारी, पाली

उप - खण्ड अधिकारी ... जिला - पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1442/2018 अनवान अम्बादेवी वगैरा बनाम नन्दकिशोर के का.मु. धर्मेन्द्र कुमार वगैरा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी

वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा नही रहा। स्व. हिम्ताजी की मृत्यु के पश्चात नन्दकिशोरजी का कब्जा काश्त रहा तथा उसके बाद आदिनांक तक कब्जा अप्रार्थीगण का है प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष मे बनना साबित है। हिम्ताजी की मृत्यु 1965 मे हुई। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1965 की धारा 23 मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार हिम्ताजी के वारिस के तहत नन्दकिशोर का नाम अधिकार अभिलेखो मे दर्ज हुआ तथा नन्दकिशोरजी की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थीगण का नाम अधिकार अभिलेखो मे दर्ज हुआ तथा अप्रार्थीगण स्व. हिम्ताजी के वादग्रस्त भूमि मे निहित 1/6 हिस्से की भूमि पर अपने जन्म से काबिज है तथा पिता नन्दकिशोर की मृत्यु के पश्चात अधिकार अभिलेखो मे खातेदार दर्ज हुये है प्रार्थीगण अपने ससुराल रहती है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2005 मे जो संशोधन किया गया है उस संशोधन से महिला को अपना पुश्तैनी हक पृथक करने का अधिकार वर्ष 2005 से पूर्व मे प्रकरणो के लिये दिया गया है। जिससे प्रार्थीगण उक्त प्रकरण मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी आज्ञाप्ति जारी कराने के अधिकारी नही होने से प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने की दलील दी। अपनी दलीलो के समर्थन मे निम्न कानूनी उद्धरण पेश किये :-

1- RRT 2018(1) Pani bai vs Chandraprakash Page 692 to 694-जिसके अनुसार प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है गोदपुत्र का प्रश्न वाद के विचारण मे निर्णित किया जायेगा-निर्णित, प्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार नही की जा सकती आदेश अपास्त।

2- RRT 2006(1) Bhanwarlal and ors. vs state of rajasthan and ors. page 545 to 548 - जिसके अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 व 224-परिसीमा अधिनियम 1963-धारा 6-खातेदारी अधिकारो की घोषणा व कब्जे के लिये वाद-वाद हेतु 10.07.1959 को उत्पन्न हुआ-वादी के पिता व उनके भाईयो ने 12 वर्ष मे वाद पेश नही किया-वाद पेश करने हेतु परिसीमा 12 वर्ष है-वाद हेतुक की दिनांक को वादी का जन्म नही हुआ था-वादी के पिता अथवा दादा ने 'एच' के खातेदार काश्तकार प्रविष्टि की दिनांक को कोई उजर नही उठाया-निर्णित, परिसीमा काल बढाया नही जा सकता तथा 1980 मे पेश वाद कालवर्जित था तथा खारिज किया।

3- RRT 2016(1) prakash vs phulvanti and ors page 29 to 42 -जिसके अनुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956-धारा 6 (यथासंशोधित अधिनियम, 2005)-सम्पति मे पुत्री का अधिकार-उच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि संशोधन भूतलक्षी है और लम्बित कार्यवाही पर लागु होता है-कानून स्पष्ट है कि संशोधन भविष्यलक्षी है-निर्णित, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णित अपास्त किया और पुनः निर्णय हेतु मामला उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया।

4- RRT 2016(1) Vinay kumari chopra vs Sh. Vijay singh Page 499 to 508 -जिसके अनुसार सिविल प्रकिया संहिता, 1908-आदेश 39 नियम 1 व 2- हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956-धारा 6(5)-सम्पति मे स्त्री का अधिकार-विभाजन हेतु वाद-अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना-पत्र विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया गया-रजिस्टर्ड रिलीज डीड के आधार पर पूर्व मे विभाजन होना साबित हुआ-20.12.2004 के पूर्व हुये विभाजन पर धारा 6(5) के प्रावधान लागु नही होते-हिन्दु अविभाजित परिवार की सम्पति नही-आदेश न तो मनमाना है न प्रतिकुल-निर्णित, अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अस्वीकार किया गया।

5- RRT 2016(1) Biradhram vs pannaram Page 508 to 509

6- RRT 2005(1) Sarvati (Smt.) and Ors. vs Khemchand and Ors. Page 242 to 248 - जिसके अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955-धारा 88 व 188-द्वितीय अपील-पिता के स्थान पर एस.बी.एल के नाम भूमि दर्ज की-मृतक 'सी' भूमि का खातेदार था-संवत 2016-2019 व 2020 की जमाबंदी मे प्रत्येक पुत्र के नाम 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज की-संवत 2032 की जमाबन्दी मे 'एस' के स्थान पर केवल 'के' का नाम दर्शाया-उसकी विधवा व पुत्री का नाम नही दर्शाया-विचारण न्यायालय ने वाद डिक्री किया तथा वादीगण व 'के' को प्रत्येक के 1/3 हिस्से के साथ सह-काश्तकार घोषित किया-अपील मे आदेश की संपुष्टि की-समवर्ती निष्कर्ष-भूमि संयुक्त खातेदारी मे है-एक सह काश्तकार का कब्जा सभी का कब्जा है-हस्तक्षेप न्यायसंगत नही है।

7- RRT 2002(1) State of rajastha vs fularam and Ors. Page 365 369

उप - खण्ड अधिकारी, पाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, पाली

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1442/2018 अनवान अम्बादेवी वगैरा बनाम नन्दकिशोर के का.मु. धर्मेन्द्र कुमार वगैरा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि स्व0 हिमताजी से प्राप्त होने तथा हिन्दु उत्तराधिकारिता की वंश वृक्षावली के अनुसार प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में हक अधिकार होने से वर्तमान अधिकार अभिलेखों में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा में बहिस्सा बराबर की खातेदारी घोषणा के साथ अप्रार्थीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की मांग की हैं। तथा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से पुश्तैनी को–पार्सनरी सम्पदा के हकूको की घोषणा हेतु प्रस्तुत वाद के निस्तारण तक अधिकार अभिलेखों में दर्ज अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगाय 1/6 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की जा रही हैं। इसके विपरित अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/4 का दावा हैं कि प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार नहीं हैं, राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज है, तथा मौके पर कब्जा भी अप्रार्थीगण का ही चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण अपने ससुराल में रहती है। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला ही प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण खारिज किये जाने की मांग की जा रही हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 एवं दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 01 व 02 सी.पी.सी. में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु विधि द्वारा जो प्रावधान नियत किये गये है। उन प्रावधानो के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निर्णित करते समय न्यायालय को तीन बिन्दुओ– (1) प्रथम दृष्ट्या मामला बनना (2) सुविधा का संतुलन (3) अपुरणीय क्षति का मामला पर प्रकरण का परीक्षण करते हुये निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। जिससे हस्तगत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु विधि द्वारा स्थापित तीनो बिन्दुओ को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है:–

1. **प्रथम दृष्ट्या मामला बनना:–**

   प्रथम दृष्ट्या मामला बनने के परीक्षण का आधार रेकर्ड अथवा मौका स्थिति हो सकते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध सैटलमेंट पुर्व की जमाबंदी संवत् 2027 से 2030 में दर्ज इन्द्राज के अवलोकन से यह जाहिर हैं कि ग्राम सेवाडी के गत् खसरा नंबर 412 रकबा 43 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 412/2 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 567/1 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 570 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 570/1 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 412/1 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 564 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 568 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 569 रकबा 16 बिस्वा कुल खसरा–12 कुल रकबा 97 बीघा 15 बिस्वा सैटलमेंट पुर्व के अधिकार अभिलेखों में 1/6 हिस्सा में शंकर, छोगा व हिमता पि0 प्रताप के नाम दर्ज थी। छोगाजी उर्फ अलकुजी व शंकरजी की मृत्यु ला औलाद होने से उनके जीवित भाई हिमताजी पुत्र प्रताजी के नाम दर्ज हुई तथा भूप्रबन्ध के बाद तैयार नये अधिकार अभिलेखों में ग्राम सेवाडी के पुराने खसरा नंबर 412 रकबा 43 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 412/2 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 567/1 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 570 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 570/1 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 412/1 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 564 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 568 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 569 रकबा 16 बिस्वा कुल खसरा–12 कुल रकबा 97 बीघा 15 बिस्वा के भू0भाग से कायम हाल खसरा नंबर 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447 रकबा क्रमशः 0.45 हैक्टर, 0.17 हैक्टर, 0.27 हैक्टर, 0.36 हैक्टर, 0.01 हैक्टर, 0.06 हैक्टर, 0.61 हैक्टर, 0.59 हैक्टर, 0.62 हैक्टर, 0.69 हैक्टर, 4.46 हैक्टर कुल खसरा–13 कुल रकबा 7.96 हैक्टर एवं दुसरा खाता जिसके खसरा नंबर 1993 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा एवं खसरा नंबर 1994 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गै.मु. सडा एवं तीसरा खाता जिसके खसरा नंबर 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 रकबा क्रमशः 0.43 हैक्टर, 0.26 हैक्टर, 0.38 हैक्टर, 0.35 हैक्टर, 0.36 हैक्टर, 0.27 हैक्टर, 0.25 हैक्टर, 0.46 हैक्टर, 0.50 हैक्टर, 0.15 हैक्टर, 0.30 हैक्टर, 0.20 हैक्टर, 0.70 हैक्टर, 0.28 हैक्टर, 0.81 हैक्टर, 0.36 हैक्टर, 0.41 हैक्टर, 0.43 हैक्टर, 0.17 हैक्टर, 0.14 हैक्टर, 0.23 हैक्टर, 0.26 हैक्टर कुल खसरा–22 कुल रकबा 7.70 हैक्टर इन तीनो खातो की भूमियों के 1/6 हिस्सा में शंकर, छोगा व हिमता पि. प्रताप की जगह नन्दकिशोर पुत्र हिमता दर्ज कर दिया गया।

पेज लगातार..08

उप - खण्ड अधिकारी, पाली

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1442/2018 अनवान अम्बादेवी वगैरा बनाम नन्दकिशोर के का.मु. धर्मेन्द्र कुमार वगैरा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी

जो इन्द्राज राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में ग्राम सेवाडी के खाता संख्या-942 में खसरा नंबर 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447 कुल खसरा-11 जुमले रकबा 7.89 हैक्टर में नन्द किशोर पुत्र हिमता 1/6 हिस्सा में अन्य सह खातेदारान् के साथ दर्ज हैं। इसी जमाबंदी पर लगे नोट के अनुसार म्यूटेशन संख्या 2700 दिनांक 2.10.2015 से विरासत के अनुसार नन्दकिशोर पुत्र हिमता के स्थान पर धर्मेश जितेन्द्रकुमार सुभाष दीपक रणजीत पुत्र नन्दकिशोर जशोदा पत्नि नन्दकिशोर का नाम दर्ज किया गया। इसी जमाबंदी पर लगे अन्य नोट के अनुसार म्यूटेशन संख्या 2745 दिनांक 29.2.16 (डिक्री बंटवारा) के अनुसार धर्मेश जितेन्द्र राकेश सुभाष दीपक रणजीत पि0 नन्दकिशोर जशोदा पत्नि नन्दकिशोर कौम रावल सा. देह खातेदार का खाता अलग करते हुये खसरा नंबर 1443 रकबा 0.60 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1447 रकबा 0.17 हैक्टर अप्रार्थीगण के बंट में रखा जाना प्रमाणित हैं। इसी प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 में दर्ज इन्द्राज के अवलोकन से यह जाहिर हैं कि ग्राम सेवाडी के खाता संख्या-171 में खसरा नंबर 1993, 1994 कुल खसरा-02 कुल रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा व सडा में नन्दकिशोर पुत्र हिम्मता 1/6 हिस्सा में बतौर सह खातेदार दर्ज हैं। इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 में दर्ज इन्द्राज के अवलोकन से यह जाहिर हैं कि ग्राम सेवाडी के खाता संख्या-175 खसरा नंबर 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2004 कुल खसरा-22 जुमले रकबा 7.77 हैक्टर के 1/6 हिस्सा में बतौर सह खातेदार नन्द किशोर पुत्र हिमता दर्ज हैं। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदियो में दर्ज इन्द्राज के अनुसार वर्तमान में वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण वर्तमान में रेकर्ड में खातेदार दर्ज नहीं है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में यह प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि सैटलमेंट पुर्व के अधिकार अभिलेखों में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या-01 के पुर्वज हिमताजी के नाम दर्ज थी। जो सैटलमेंट बाद के अधिकार अभिलेखों में अकेले अप्रार्थी संख्या-01 के नाम दर्ज कर दी गई। इस बिन्दु को लेकर दोनो पक्षो में कोई विरोध भी नहीं हैं, क्योंकि प्रार्थीगण स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में भूमि उनके पुर्वज हिम्मताजी के नाम बन्दोवस्त पुर्व के अधिकार अभिलेखों में दर्ज होने तथा उनके देहांत के बाद भू0प्रबन्ध कार्यवाही में अकेले नन्दकिशोर का नाम दर्ज कर दिया जाने से वादग्रस्त भूमि में हिन्दु उतराधिकारिता अधिनियम, 1956 के प्रावधानो अनुसार पुश्तैनी को-पार्सनरी सम्पदा में अपना हक होने से घोषणा खातेदारी का वाद एवं अप्रार्थीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया हैं। एवं प्रस्तुत वाद के निस्तारण में समय लगने से वादग्रस्त भूमि में अपना हक हिस्सा होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की मांग की गई। एवं अप्रार्थीगण द्वारा हिमताजी की मृत्यु के बाद अप्रार्थी -01 नन्दकिशोर अकेले का नाम किये तथा इसकी जानकारी प्रार्थीगण को भलीभॉति हाने से एवं वर्तमान अधिकार अभिलेखों में भूमि में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं होने से अब 56 वर्ष की अवधि के बाद उक्त वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से प्रथम दृष्ट्या मामला ही प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनने की दलील दी। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के वर्तमान में रेकर्डेड खातेदार है। पुश्तैनी हक अनुसार प्रार्थीगण का हिस्सा बनता है अथवा नहीं ? इस बिन्दु का विनिश्चयन वाद के निर्णय पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में जबकि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि हैं, जिसमें भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् अकेले अप्रार्थीगण संख्या-01 के नाम दर्ज कर दी गई एवं प्रार्थीगण का नाम विलोपित कर दिया गया। जिसकी घोषणा खातेदारी के लिये वाद प्रस्तुत कर रखा है एवं वाद के साथ में उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। इस संबध में विद्ववान् वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी उद्धहरण RRT 2005(2) Mangeram vs Ratni Page 995 to 998 एवं RRT 2009 (1) Makbool and ors. vs gani and ors. Page 141 to 145 हस्तगत् प्रकरण में सटीक हैं। RRT 2005(2) Mangeram vs Ratni Page 995 to 998 में माननीय राजस्व मंडल, अजमेर ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया हैं कि यह प्रकरण विरासत से भूमि पर कब्जे व अधिकार से संबंधित हैं। विरासत से पूर्वज की भूमि पर स्वतः ही वारिसों का कब्जा माना जायेगा तथा इसके लिये वारिसों को कोइ साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहती हैं।

पेज लगातार..............09

उप - खण्ड अधिकारी, पाली

उप - खण्ड अधिकारी, जिला - पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1442/2018 अनवान अम्बादेवी वगैरा बनाम नन्दकिशोर के का.मु. धर्मेन्द्र कुमार वगैरा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी

विवाद केवल भाई–बहन के बीच हैं तथा उनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति पक्षकार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि भले ही अप्रार्थी के खाते दर्ज हो गई हो परन्तु प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण का भी हिस्सा अनुसार कब्जा होना प्रमाणित होता हैं। तथा प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरर्णनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में माने हैं। उक्त विवेचन से प्रथम दृष्ट्या मामला बनने का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

2. सुविधा का सन्तुलन :–

प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के अवलोकन से हस्तगत् प्रकरण में यह प्रमाणित हैं कि सैटलमेंट पुर्व के अधिकार अभिलेखों में वादग्रस्त भूमि हिमता पुत्र प्रतापजी के सह खातेदारी में दर्ज रही हैं। तथा भूप्रबन्ध के बाद तैयार मिसल बन्दोवस्त एवं उसके बाद तैयार अधिकार अभिलेखों रेकर्ड ऑफ राईटस जमाबंदियो में वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं कर अप्रार्थी संख्या 1/1 लगाय 1/6 के नाम दर्ज कर दिये गये हैं। वर्तमान अधिकार अभिलेखों में भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होने से प्रार्थीगण द्वारा पुश्तैनी भूमि में अपना हक होने से घोषणा खातेदारी का वाद एवं उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। जिस प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2018 को प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्व आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई हैं। एवं अब यदि उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जाता है, तो अप्रार्थीगण द्वारा भूमि का अन्यत्र बेचान, हस्तान्तरण की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता हैं। यदि अप्रार्थीगण रेकर्ड में दर्ज इन्द्राजो के अनुसार भूमि का किसी तीसरे पक्ष को बेचान, हस्तान्तरण करने में सफल हो जाते है, तो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। तथा प्रकरण में विभिन्न प्रकार की जटिलताए बढेगी तथा प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी। इसके विपरित यदि अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, तो अप्रार्थीगण के हितो पर कोई कुप्रभाव नहीं पडेगा, क्यों कि वाद कार्यवाही में यदि शहादत इत्यादि के माध्यम से प्रार्थीगण का वाद साबित नहीं हुआ तो अप्रार्थीगण के अधिकार ज्यो के त्यों कायम रहेगें। उक्त विवेचन से बिन्दु संख्या–02 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/4 के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. अपुरर्णनीय क्षति का मामला :–

प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने पर अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति होना संभाव्य नहीं हैं। इसके विपरित यदि प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं तो अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगाय 1/6 जो कि वर्तमान अधिकार अभिलेखों में रेकर्डेड खातेदार है भूमि का बेचान हस्तान्तरण कर देगें, जिससे मौके पर विवाद बढेगे तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। उक्त विवेचन से बिन्दु संख्या–03 भी प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

हमने विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त न्यायिक नजीरो का ससम्मान अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरे : **RRT 2018(1) Pani bai vs Chandraprakash**
Page 692 to 694, RRT 2006(1) Bhanwarlal and ors. vs state of rajasthan and ors. page 545 to 548
, RRT 2016(1) prakash vs phulvanti and ors page 29 to 42 उक्त प्रकरण मे चस्पा नही होती है
होती है। वादी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरे **1.RRT 2005(2) Mangeram vs Ratni Page 995 to 998 ,RRT**
2009 (1) Makbool and ors. vs gani and ors. Page 141 to 145, RRT 2007 (2) Sanwarlal and ors. vs
Kisturmal and ors Page 813 to 816 प्रार्थीगण के पक्ष मे भलीभांती चस्पा होती है।

निष्कर्षत : उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे यह सुस्पष्ट है कि वादीगण/प्रार्थीगण का वाद संवत् 2017 के अभिलेखो में पुर्वज हिम्मता के नाम दर्ज होने से पुश्तैनी को–पार्सनरी हककूको का होने, एवं वर्तमान अधिकार अभिलेखों में अप्रार्थीगण का नाम त्रुटिपुर्ण रूप से दर्ज होने एवं अस्थाई व्यादेश के लिये आवश्यक तीन पूर्व शर्तो 1. प्रथम दृष्ट्या मामला, 2. सुविधा का सन्तुलन, 3. अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होने से तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरो का

पेज लगातार...10

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1442/2018 अनवान अम्बादेवी वगैरा बनाम नन्दकिशोर के का.मु. धमेन्द्र कुमार वगैरा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी

प्रार्थीगण के पक्ष मे हुबहु चस्पा होने से वादीगण/प्रार्थीगण का सरहद मौजा ग्राम सेवाडी तहसील बाली के हाल खसरा नंबर खसरा नंबर 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447 रकबा क्रमशः 0.45 हैक्टर, 0.17 हैक्टर, 0.27 हैक्टर, 0.36 हैक्टर, 0.01 हैक्टर, 0.06 हैक्टर, 0.61 हैक्टर, 0.59 हैक्टर, 0.62 हैक्टर, 0.69 हैक्टर, 4.46 हैक्टर कुल खसरा–13 कुल रकबा 7.96 हैक्टर एवं दूसरा खाता जिसके खसरा नंबर 1993 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा एवं खसरा नंबर 1994 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गै.मु. सडा एवं तीसरा खाता जिसके खसरा नंबर 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 रकबा क्रमशः 0.43 हैक्टर, 0.26 हैक्टर, 0.38 हैक्टर, 0.35 हैक्टर, 0.36 हैक्टर, 0.27 हैक्टर, 0.25 हैक्टर, 0.46 हैक्टर, 0.50 हैक्टर, 0.15 हैक्टर, 0.30 हैक्टर, 0.20 हैक्टर, 0.70 हैक्टर, 0.28 हैक्टर, 0.81 हैक्टर, 0.36 हैक्टर 0.41 हैक्टर, 0.43 हैक्टर, 0.17 हैक्टर, 0.14 हैक्टर, 0.23 हैक्टर, 0.26 हैक्टर कुल खसरा–22 कुल रकबा 7.70 हैक्टर इन तीनो खातो की भूमियों के 1/6 हिस्सा के संबंध मे प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी. बाबत अस्थाई व्यादेश के संबध में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2018 को पारित एक पक्षीय अंतरिम आदेश में किसी प्रकार की दखलन्दाजी उचित प्रतीत नहीं हैं। आदेश दिनांक 01.10.2018 को मूल वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। मिसल फैसल शुमार होकर मूल राजस्व वाद सं0 49/2018 के संलग्न हो।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उप-खण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 28-5-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

उप-खण्ड अधिकारी, बाली

खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner